Forwarding Trading in Commodities

1963. SHRI V. RAJAN CHELLAPPA: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether the trading in commodity futures is banned at present;

(b) if so, the considerations which weighed with Government in permitting the ITC Agro to set up the country's first commodity futures exchange in Bombay;

(c) the functions of this exchange and the control exercised by Government over it;

(d) whether Government have by now received the Kabra Commission report;

(e) if so, the salient recommendations thereof; and;

(f) what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI BUTA SINGH): (a) At present, trading in commodity futures is not banned. Such trading is being allowed in the country in respect of commodities like castor seed, pepper, turmeric, gur, hessian and potatoes.

(b) and (c) The Government have not permitted the ITC Agro to set up a Commodity Futures Exchange in Bombay.

(d) to (f) The Kabra Committee which was appointed by the Ministry of Civil Supplies, Consumer Affairs & Public Distribution in June, 1993 to review the operations of the forward markets and to assess the role of the Forward Markets Commission, has since submitted its report to the Government. The Government has not taken any decision on the recommendations of the Report as it involves consultations with various Government Department/Organisations.

उपभोक्ता संरक्षण आन्दोलन के संबंध में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की सिफारिशें

1964. **श्रीमती सुषमा स्वराजः**
श्री राम जेठमलानीः

क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आई०आई०पी०ए०) ने देश में उपभोक्ता संरक्षण आन्दोलन में गति लाने के लिए उपभोक्ता न्यायालयों को और अधिक शक्तियां प्रदान किये जाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो वे सिफारिशें क्या-क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर उन्हें कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने कौन-कौन सी सिफारिशों को कार्यन्वित करने का निर्णय लिया है; और

(ङ) कौन-कौन सी सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) और (ख) जी हां। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान ने इस मंत्रालय द्वारा सौंपे गए कार्य पर अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट में उपभोक्ता न्यायालयों को अधिक शक्तियां देने की सिफारिश की है। ऐसी कुछ सिफारिशें हैं:—

(i) अंतरिम आदेश जारी करने की शक्ति देना, (ii) उपभोक्ता न्यायालयों के निर्णयों को लागू करने के लिए निष्पादन अभिकरण की व्यवस्था करना, (iii) एक उपभोक्ता न्यायालय से दूसरे उपभोक्ता न्यायालय को मामले अन्तरित करना, (iv) उच्च न्यायालयों की रिट अधिकारिता का अपवर्जन, आदि ।

(ग) से (ङ) मंत्रालय ने इन सुझावों को कार्य दल को भेजा है, जिसका गठन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए उसमें उपयुक्त संशोधनों का सुझाव देने हेतु किया गया है।